न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय) अलवर (राजस्थान)

अपील संख्या	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
11/43/2015	30–12–2015	09–07–2019

1– चन्द्रप्रकाश पुत्र बनवारीलाल जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम भीकमपुरा तहसील थानागाजी जिला अलवर राजस्थान।

–अपीलान्ट

बनाम

1– कानसिंह पि.मु. मुस्मात जडाव बेवा नारायणसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम भीकमपुरा तहसील थानागाजी जिला अलवर।

2– रघुवीरसिंह पुत्र विजयसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम भीकमपुरा तहसील थानागाजी जिला अलवर।

–रेस्पाडेन्ट्स

अपील विरूद्ध आदेश तहसीलदार थानागाजी नामान्तरकरण संख्या 117 वाके भीकमपुरा तहसील थानागाजी जिला अलवर दिनांक 22.01.1983

उपस्थितः–

01. श्री गिर्राज प्रसाद गुप्ता –वकील अपीलान्ट
02. श्री रामबाबू कौशिक –वकील रैस्पोडेट

––:: निर्णय ::––

अपीलान्ट ने यह अपील तहसीलदार थानागाजी के आदेश दिनांक 22.01.1983 जिसके द्वारा नामान्तरकरण संख्या 117 वाके ग्राम भीकमपुरा तहसील थानागाजी जिला अलवर बेजा तौर पर स्वीकार किया गया है, से व्यथित होकर पेश की है। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पौ0 को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं तहत अदालत का रिकॉर्ड तलब किया गया। अधिवक्ता अपीलान्ट की बहस सुनी गई।

विद्वान वकील अपीलान्ट ने अपनी लिखित बहस में अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि विजय सिंह व कानसिंह के पूर्वजों ने ग्राम भीकमपुरा स्थित कृषि भूमि साबिक खसरा नम्बर 151 रकबा 1 बीघा 19 बिस्वा व 152 रकबा 11 बिस्वा अपीलांट के पूर्वजो के यहां रहन बिल कब्ज सैकडों सालों पूर्व रहा है और उस पर सैकडों सालो से अपीलांट के पूर्वजो का व अपीलांट का निरंतर कब्जा चला आ रहा है तथा जमाबंदी आदि में निरंतर रहन मुर्तहन का इन्द्राज चला आ रहा है। दिनांक 22.01.1983 की जमाबंदी में विजय सिंह पुत्र कालूसिंह व कानसिंह पुत्र पि.मु. मु. जडाव बेवा नारायणसिंह हिस्सा बराबर कौम राजपूत साकिन देह राहिन व छाज्या, शम्भू पुत्र अर्जुन कौम ब्राहमण मुर्तहन काश्त मुर्तहन का इन्द्राज है, परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इंतकाल संख्या 117 गलत तरीके से तस्दीक कर विजय सिंह पुत्र कालू सिंह, कानसिंह पुत्र पि.मु. जडाव बेवा नारायण सिंह हिस्सा बराबर राजपूत का नाम बतौर खातेदार दर्ज कर दिया, जो निम्न कारणों से विधि विरूद्ध है। तहसीलदार द्वारा ऐसा आदेश पारित करने का अधिकार नहीं था। विचाराधिकार शुन्य आदेश को एवइनिशियो वाईड आदेश माना जाता है और ऐसे आदेश को निरस्त करने की कोई मियाद नहीं है। ऐसा मत माननीय सुप्रीम कोर्ट एवं माननीय उच्च न्यायालय द्वारा भी सुस्थापित कर दिया है। माननीय राजस्व मण्डल अजमेर ने भी माना है कि एवइनिशियो वाईड आदेश की अपील करने की कोई मियाद नहीं है। इसलिए अपीलाधीन आदेश को तुरंत निरस्त फरमाने की कृपा करें। इस पर विचार न फरमावे की आदेश दिनांक 22.01.1983 को होने के कारण मियाद बाहर है। उक्त आदेश अनेको कारणों से शुन्य है। आरटीएक्ट लागू होने की तारीख 15.10.1955 से पूर्व के जो रहन है उस रहन के संबंध मे आरटीएक्ट में संशोधन करके एक नई धारा 43ए जोडी जा चूकी थी। जिसमें यह प्रावधान है कि आरटीएक्ट के लागू होने से पूर्व के समस्त रहन बिल कब्ज पर पुराना कानून भी प्रभावशाली रहेगा। इसके संबंध में अधिकारों का निर्णय करने का अधिकार क्षेत्र केवल

अतिरिक्त जिला कलेक्टर

सहायक कलक्टर को ही होगा। चूंकि वाद ग्रस्त रहन आरटीएक्ट लागू होने से पूर्व का है। इसलिए इसके अधिकारों का निर्णय करने का क्षेत्राधिकार सहायक कलक्टर को ही है। तहसीलदार थानागाजी को उक्त प्रकरण में क्षेत्राधिकार ही नहीं था। इसलिए उन्होनें मुर्तहन के नाम का हटाकर भूमि को रहन मुक्त कर रैस्पो0 को खातेदार बनाने का जो आदेश पारित किया है। वह शुन्य व निरस्तनीय है। धारा 43ए आरटीएक्ट में यह माना गया है कि इस एक्ट के लागू होने से पूर्व रहन बिल कब्ज के मामलों में उस समय का कानून लागू होगा जब रहन रखा गया था। रहन की निर्धारित अवधि समाप्त होते ही रहन को रिडम्पशन का अधिकार समाप्त हो गया तथा एडवर्स पजेशन के आधार पर मुर्तहन अर्थात् अपीलांट के पूर्वजो को खातेदारी अधिकार प्राप्त हो गये, परन्तु तहसीलदार थानागाजी द्वारा अनाधिकार चेष्टा करके अपीलांट के पूर्वजो के समस्त अधिकार अवैध रूप से समाप्त कर दिये। उक्त आदेश के अवैध होने का महत्वपूर्ण दूसरा आधार यह भी है कि इस इंतकाल के कॉलम नं. 5 में ही छाज्या, शम्भू पुत्र अर्जुन कौम ब्राह्मण मुर्तहन व काश्त मुर्तहन होना अंकित है। जिनका नाम इस इंतकाल द्वारा हटा दिया गया है, परन्तु छाज्या, शम्भू पुत्र अर्जुन कौम ब्राह्मण को कोई नोटिस या सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया और अपीलांट की अनुपस्थिति में आदेश पारित कर दिया गया, जबकि श्रीमति मैनका गांधी के सुप्रसिद्ध केस में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एआईआर 1976 पेज 579 पर पूरे देश के लिए यह कानून बना दिया है कि नैचुरल जस्टिस के सिद्धांत अनुसार पीड़ित पक्षकार को नोटिस दिये बगैर कोई आदेश पारित नहीं किया जा सकता। अगर कर दिया गया है तो प्रींसिपल ऑफ नैचुरल जस्टिस के खिलाफ है। इसलिए ये आदेश एवइनिशियो वाईड आदेश है। इंतकाल के कॉलम नं0 14 मे यह अंकित है कि स्वंय तहसीलदार ने दिनांक 21.01.1983 को मुतहलका इन्द्राज खारिज करने का आदेश फरमाया है जबकि उन्हें ऐसा अधिकार नहीं है। इसके पश्चात् स्वंय ने ही अपने इस अवैध आदेश के आधार पर दिनांक 21.01.1983 को इंतकाल तस्दीक कर दिया। पीडित पक्षकार छाज्या पुत्र अर्जुन ब्राहम्ण का देहांत सन् 1996 में हो गया और उसकी पत्नी श्रीमति सुखदेवी जो उसकी उत्तराधिकारी थी। उसका देहांत भी दिनांक 08.09.2015 को हो गया। अपीलांट उनका पौत्र है और उत्तराधिकारी है तथा वाद ग्रस्त भूमि पर काबिज है। इसलिए वह पीडित पक्षकार है और उसे अपील करने का अधिकार है। फिर भी रफाये हुज्जत धारा 96 सीपीसी का प्रा0पत्र संलग्न है। नियमानुसार रहन भूमि 5 साल बाद रहन मुक्त हो जानी चाहिए परन्तु रहन की अवधि 5 साल से अधिक हो चुकी है। लेकिन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा यह जांच नहीं की गई कि वादग्रस्त रहन को कितने साल पूर्व किया गया था। उक्त रहन को 5 साल पूर्व ही किया गया मानकर अवैध निर्णय पारित कर दिया गया। क्योंकि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय तो आरटीएक्ट की धारा 43 के अन्तर्गत फरमाया गया है जो इस केस में लागू ही नहीं होती है। क्योंकि धारा 43 तो आरटीएक्ट लागू होने के बाद किये गये रहन पर लागू है। आरटीएक्ट से पूर्व के रहन पर धारा 43ए लागू होती है। अपीलांट को उसके पिता बनवारीलाल तथा छाज्या के अन्य पुत्र जगदीश आदि को प्रश्नगत इंतकाल की कोई जानकारी नहीं हुई। परन्तु दिनांक 07.12.2015 को रैस्पो0 ने धमकी दी कि उनके नाम इंतकाल हो चुका है। इसलिए वे भूमि को अन्य किसी को बेचकर तुम्हें बेदखल करेंगे। दिनांक 09.12.2015 को ही नकल प्राप्त कर अपील पेश की गई। यह सुस्थापित सिद्धांत है कि अनेक व्यक्तियों में से केवल एक व्यक्ति ही न्याय की मांग कर सकता है व सब के हित के लिए अपील पेश कर सकता है। सभी को पक्षकार बनाया जाना कानूनन आवश्यक नहीं है। ऐसा प्रावधान आदेश 41 नियम 04 सीपीसी में है। विजय सिंह का देहांत हो चुका है। इसलिए उसका उत्तराधिकरी रैस्पो0 नं0 2 रघुवीर सिंह है जिसे पक्षकार बनाया गया है। अतः अपील पेश कर निवेदन है कि ग्राम भीकमपुरा के इंतकाल सख्या 117 दिनांक 22.01.1983 को निरस्त कर जमाबंदी में पूर्व इन्द्राज छाज्या, शम्भू पुत्र अर्जुन कौम ब्राह्मण मुर्तहन, काश्त मुर्तहन का जो इन्द्राज लोपित कर दिया गया है वह वापस अंकित किये जाने के आदेश फरमाये जावें।

विद्वान वकील रैस्पोडेन्ट ने अपनी बहस में निवेदन किया कि विचाराधीन इंतकाल तहसीलदार थानागाजी द्वारा राजस्व कैम्प के दौरान विधिवत रूप से खोला गया था, जिस पर हल्का पटवारी व गिरदावर के हस्ताक्षर किये हुए है। 5 साल से पूव का रहननामा के आधार पर इंतकाल दर्ज व तस्दीक किया गया है। अपीलांट द्वारा लगभग 32 साल बाद उक्त इंतकाल को चैलेंज किया गया है। उक्त अपील मियाद बाहर है। अपीलांट को उक्त प्रकरण का ज्ञान पूर्व में

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
(स्थानीय) अलवर (राज0)

ही था। पूर्व मे भी अपीलार्थी के सभी पक्षकारों द्वारा वाद दायर किया जा चुका है। जिसमें सभी वारिस पक्षकार को वकील अपीलांट की नजिरे इस अपील पर लागू नहीं होती है। अपील मियाद बाहर होने से अपीलार्थी को अपील का अधिकार नहीं है। क्योंकि छाज्या के उत्तराधिकारी मौजूद है तो पौत्र को कोई अधिकार नहीं है। प्रार्थी अपीलांट को विवादित इंतकाल संबंधी जानकारी सन् 1983 से ही है। रैस्पो. को तंग व परेशान करने की वजह से गलत तथ्य अंकित कर अपील पेश की गई है। अपील 32 साल बाद पेश की गई है तथा प्रार्थी को जानकारी भी उसी समय से है। इसलिए दफा 5 मियाद अधिनियम के तहत लाभ दिया जाना उचित नहीं है। अतः प्रा0पत्र दफा 5 मियाद अधिनियम खारिज फरमाया जावें। प्रा0पत्र 96 सीपीसी अपील प्रस्तुत करने की अनुमति के लिए किया गया है। क्योंकि छाज्या पुत्र अर्जुन व सुखदेवी पत्नी छाज्या का देहांत हो गया है। उनके पौत्र चन्द्रप्रकाश द्वारा अपील पेश की गई है। जो गलत है व काबिल खारिज है। पौत्र चन्द्रप्रकाश पुत्र बनवारीलाल को अनुमति प्रदान नहीं की जा सकती क्योंकि छाज्या व सुखदेवी के वारिसान मौजूद व जिन्दा है। वारिसान के जिन्दा होने पर पौत्र को अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान नहीं की जा सकती। अतः प्रा0पत्र 96 सीपीसी खारिज कर अपील खारिज फरमायी जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं उभय–पक्षकारान् के अधिवक्ताओ की बहस पर मनन किया। सर्वप्रथम प्रा0पत्र 96 सीपीसी पर विचार किया गया। वकील अपीलांट द्वारा पेश की गई नजिर आरबीजे 2016 पेज 547 का अध्ययन किया गया जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा यह आदेश फरमाया गया है कि "Aggrieved party can file directly an appeal without filing an application under section 96 of CPC 1908" एवं एआईआर 1971 एससी पेज 374 पेश किये है जिनसे स्पष्ट होता है कि कोई भी एग्रीव्ड पर्सन बिना प्रा0पत्र 96 सीपीसी के अपील पेश करने का अधिकरी है। अतः अपीलांट द्वारा पेश किया गया प्रा0पत्र 96 सीपीसी स्वीकार किया जाता है। अपीलांट को विचाराधीन अपील करने की अनुमति प्रदान की जाती है। प्रा0पत्र मियाद अधिनियम दफा 5 पर विचार किया गया। अपीलांट ने यह अपील आदेश दिनांक 22.01.1983 के विरूद्ध दिनांक 22.12.2015 को पेश की गई। जो करीब 33 साल के विलम्ब से पेश की गई है, परन्तु आरटीएक्ट दिनांक 15.10.1955 से पूर्व के रहन का बागूजार करने का निर्णय करने का अधिकार धारा 43ए आरटीएक्ट के अनुसार केवल सहायक कलक्टर को दिये गये है। इसलिए तहसीलदार द्वारा एबनिशियो बाईड ओदश पारित किया गया है। जिसके विरूद्ध अपील करने में मियाद का प्रतिबंध लागू नहीं होता है। उक्त संबंध में वकील अपीलांट द्वारा आरबीजे 1997 पेज 295, आरबीजे 1996 पेज 255, डीएनजे 2016 रेवेन्यु 39, आरआरडी 1994 पेज 604 व 606, आरआरडी 1991 पेज 492 पैरा ए, आरआरडी 1996 पेज 457 पैरा ए, आरआरडी 1992 पेज 117 एवं आरआरटी 2002 1 पेज 257 पेश किये है। जिनसे स्पष्ट है कि उक्त इंतकाल को निर्णित करने का अधिकार तहसीलदार थानागाजी को नहीं था। बिना क्षेत्राधिकार के किये गये आदेश को चुनौती देने के लिए किसी भी प्रकार की समय सीमा निर्धारित नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र दफा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाकर विलम्ब को माफ किया जाकर अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है। उभय पक्षकारान् द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रा0पत्र आदेश 41 नियम 27 को स्वीकार किया जाता है। जहां तक गुणावागुण का प्रश्न है हस्तगत प्रकरण में अवलोकन से पाया जाता है कि रजिस्टर दाखिल खारिज में राजस्व कैम्प ग्राम भीकमपुरा दिनांक 01.01.1949 से स्पष्ट है कि रैस्पो0 द्वारा विवादित आराजी अपीलांट के दादा को रहन रखी गई थी। जमाबंदी सवत् 2005 के खाता नं0 95 से भी रहन सिद्ध होता है। रिकॉर्ड भू–प्रबंध विभाग सवत् 2028 से 2047 के अवलोकन से भी सिद्ध होता है कि अपीलांट के बुजुर्गान् का बदस्तूर कब्जा चला आ रहा है। तहसीलदार थानागाजी को धारा 43 में उक्त इंतकाल को निर्णय करने का अधिकार नहीं था। उक्त प्रकरण का निर्णय करने का अधिकार सहायक कलक्टर को ही था। क्योंकि उक्त रहन आरटीएक्ट लागू होने से पूर्व का है। जबकि धारा 43 आरटीएक्ट लागू होने के बाद किये गये रहन पर लागू होता है। आरटीएक्ट लागू होने से पूर्व के रहन पर धारा 43 ए लागू होती है। तहसीलदार थानागाजी द्वारा दूसरे पक्षकार को सुने बिना एकपक्षीय आदेश पारित किया गया है। जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के विरूद्ध है। वकील अपीलांट द्वारा पेश की नजिरे आरआरसी 2000 पेज 165, आरआरडी 2012 पेज 83 पैरा 7, आरआरडी 1984 पेज 45 डी, 111, 669, एआईआर 1978 एससी पेज 597, एआईआर 1961 एससी पेज 1500 पूर्णतया चस्पा होती है।

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
(प्रथम) अलवर (राज.)

...आधार पर प्रस्तुत है:

जहां तक अपीलांट के अकेले अपील करने का प्रश्न है। जिस संबंध में एआइआर 1987 केरल 94 एवं सीपीसी आदेश 41 नियम 04 से स्पष्ट है कि कई वादीयों या प्रतिवादीयो में से एक ही व्यक्ति पूरी डिक्री के विरूद्ध अपील कर सकेगा। जहां वह ऐसे आधार पर दी गई है, जो उन सभी के लिए सामान्य है। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत तथ्य एवं प्रस्तुत कानूनी नजिरो के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार कर तहसीलदार थानागाजी द्वारा पारित आदेश इंतकाल संख्या 117 दिनांक 22.01.1983 को निरस्त किया जाता है तथा जमाबंदी में पूर्व इन्द्राज छाज्या, शम्भू पुत्र अर्जुन कौम ब्राह्मण मुर्तहन काश्त मुर्तहन को वापस अंकित करने के आदेश दिये जाते है। निर्णय की प्रति तहसीलदार थानागाजी को उनके रिकॉर्ड के साथ भिजवायी जावें। इस न्यायालय की पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील लेख भण्डार हो।

निर्णय आज दिनांक 09–07–2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

9-7-19

(भगवत सिंह देवल)
अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राजस्थान)

आधार पर प्रस्तुत हः